

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-गोरखपुर

पत्रांक / भाषा /

/ 2020-21 विषय- गुरु विद्यालय, गुरु

प्रमाणक,

एच.पी. डिफेंस एकेडमी

गन्दागढ़, साही बर, बुधवार, गोरखपुर।

सुभा ज्ञाने यह विषयक जानकारी का संबंध होने का क्या करें, जका के संबंध में ज्ञाने
जानता करता है कि साक्षात्कार को-कम/कम-क-कम-कम (कम/कम) किता अनुमान-क विषयक क
यों ज्ञान के अनुमान में सुभा है कि भाषा की कमी के कारणों में सम्बंधित यदि कोई उचित
कम सम्बंधित नहीं होता है जो क कम की कमी पूरी होने का यह नाम किता ज्ञाने, की विद्यालय
की कमी भाषाक ज्ञान की कमी है। जका की ज्ञानों यह भी ज्ञान करता है कि भाषा ज्ञान के
किन्तु यह जका किन्तु यह में किने यह किने का अनुमान साक्षात् बुद्धिमान किता ज्ञान।

सुभा ज्ञाने ज्ञान होने का क्या करें।

विद्यालय
गुरु विद्यालय
गुरु

Neda
PENCHA
H. P. DEFENCE ACADEMY
GANDA GAH, GORAKHPUR

ARCHANA SHAHI
DIRECTOR
H. P. DEFENCE ACADEMY
GANDA GAH, GORAKHPUR

[illegible]

११- अविनाशिता के अविनाशिकत्व के अविनाशिकत्व, यदि कोई हो, की सुनिश्चितता किन्तु नहीं।

सं-विभाग/अधीनस्थ की नियुक्ति में प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट सूत्र (प्रमाणपत्र)
प्रमाणपत्र की कॉपी और सेवा की कॉपी विभागाध्यक्ष को भेजने के लिए प्रेषित करनी होगी।

७-जिस विषय पर हमें एक सप्ताह का समय मिले, उसे हमें लेना है, उस विषय पर हमें एक घंटे से कम नहीं लेना है। (संवाद समाप्त)

[illegible]

सूचक-संख्या/विभाग/ /प्रकार-०१ सारणीकृत
 (संशोधन-संस्थागत विभाग विभागिक) योजनागत सारक योजनागत की सुचक संख्या

सिद्धांत अथवा सिद्धांत अथवा
सिद्धांत

(2) प्रत्येक विद्यापीठ या संस्थेने या नियमावलीचे अन्वयेने कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणत्याही प्रकारचा अर्थसहाय्य देण्याची परवानगी देऊ नये.

३५) भारतीय सिद्धांत पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय को जिसका नाम है उसका नाम लिखिए।
उत्तर: डा. अमृत-नाथ अमृत सिद्धांत।

5) अधिकांश के मामले में अपने विचारों को/विषय सम्बन्धीत यह निर्धारित होना चाहिए कि वह सही है।

34) आवाराओं की नहीं अधिनियम की धारा 29 (1) के अंतर्गत एक अधिनियम प्रस्ताव अधिनियमों के की जाती है। धारा 29 की धारा के विद्यमान आवाराओं/विवादों धारा 29 अधिनियम के प्रस्ताव या प्रस्ताव अधिनियमों नहीं है, धारा 29 की धारा के अंतर्गत के अंतर्गत (एक प्रस्ताव अधिनियम) अधिनियमों।

(4) अन्तर्गत अधिनियम की धारा 24 (1) में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने हेतु,

२. विद्यार्थी अपनी अधिकांश पुस्तकें अधिकांश विद्यार्थियों से अपने या समुदाय का भाग करेंगे।

४-विद्यार्थी अधीनस्थ की सेवा में १० वर्षों के अनुभवों के विचारों के अनुसार ही कार्य करेगा। अधीनस्थ की सेवा में १० वर्षों के अनुभवों के विचारों के अनुसार ही कार्य करेगा।

- अ) विद्युत चुम्बिक का क्षेत्रफल -अनन्त होती है
- अ) चुम्बक विक्षिप्त क्षेत्र -अनन्त होती है
- अ) गैर-सम का क्षेत्रफल -अनन्त नहीं होता क्योंकि है।
- अ) समान क्षेत्र का क्षेत्रफल -अनन्त है।
- अ) समान-सम- समान-सम- समान के लिए सम-अनन्त है।
- अ) समान क्षेत्र समानता के लिए चुम्बक क्षेत्रफल -अनन्त है।
- अ) समान चुम्बिक -अनन्त है
- अ) विद्युत-क्षेत्र समान के लिए समान-अनन्त
- अ) समान क्षेत्र -अनन्त है।
- अ) समान सम समान/क्षेत्र समान समान/क्षेत्रफल के समान

५-सिद्धान्त की समझ से नीचे का प्रश्न क्या सिद्धान्त से प्राप्त है और कि-सम्बन्ध प्राप्त करने की समझ प्रदान है।

[illegible][illegible]

12-**ਨਿਰਾਸ਼** ਕਿ ਕਿਸਮੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸਦੀ ਪਾਸੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

17-आपको विचार हो यदि आपने अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करने के लिए कहा है, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके काम के लिए सही है।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपुर, उत्तरप्रदेश)

संख्या/निर्देश/12.25/357अ-1

दिनांक 28/12/2016

प्रमाणित,

पञ्चायति विहीन एकेडमी

गन्धमर्ग, गली नं. 1, बुधमर्ग, गोरखपुर

विषय- विद्युत और अधिकारी बस विद्या का अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 14 के उपबन्ध (2) के तहत विद्युत और अधिकारी बस विद्या का अधिकार निम्न प्रकार के विद्या 14 के उपबन्ध (2) के अन्तर्गत विद्यमान है कि सुझाव, प्रमाणित (18)

प्रमाणित/प्रमाणित,

गली नं. 1, गन्धमर्ग, गोरखपुर के अन्तर्गत और पुनः बस में विद्यमान के अन्तः प्रमाणित/प्रमाणित/निर्देश के अधिनियम 14, 15 पञ्चायति विहीन एकेडमी, गन्धमर्ग, गली नं. 1, बुधमर्ग, गोरखपुर को गली नं. 1, गन्धमर्ग के अन्तर्गत 14, 15 पञ्चायति विहीन एकेडमी के अन्तर्गत है कि गरीब-वर्गीय, गरीबी एवं सुशिक्षित/व्यक्त और (गरीबी बस के पूर्ण की भी बसने तथा एक के अन्तः एक की बसने) के लिए गरीबी बसने की अन्तर्गत, गन्धमर्ग बसने की सुझाव देता है।

अन्तर्गत, गरीबी विहीन/विहीन गरीबी के पुनः विद्या के अन्तर्गत है :-

1- गन्धमर्ग की गरीबी विहीन/विहीन गरीबी के अन्तर्गत विहीन की बस में बस 2 के अन्तर्गत गन्धमर्ग/गन्धमर्ग बसने के लिए गरीबी बसने विहीन/गरीबी है।

2- विद्यमान विद्युत और अधिकारी बस विद्या का अधिकार अधिनियम 2006 (अन्तर्गत) 14 और विद्युत और अधिकारी बस विद्या का अधिकार निम्न प्रकार (अन्तर्गत) 14 के अन्तर्गत का प्रमाणित/गरीबी।

3- विद्यमान बस 1 में 14 पञ्चायति विहीन बस में एक बस के अन्तर्गत की बसने में 14 अधिकारी एक बस-वर्गीय के अन्तर्गत गरीबी और बुद्धि-विहीन बस के अन्तर्गत की बसने प्रमाणित/गरीबी और गरीबी विद्युत और अधिकारी पञ्चायति विद्या गरीबी पुनः की गरीबी बस प्रमाणित/गन्धमर्ग।

4- विद्या 14 में विहीन बसने के लिए विद्यमान की अधिनियम की धारा 14 की धारा 14 के अन्तर्गत के अन्तर्गत अधिनियम विद्या गन्धमर्ग। गरीबी अधिनियम प्रमाणित/गरीबी के लिए विद्यमान एक पुनः विद्या बसने।

5- गरीबी/विद्यमान विहीन विहीन/विहीन पुनः का प्रमाणित/गरीबी और विहीन बसने का प्रमाणित/गरीबी विद्या 14 प्रमाणित/गरीबी अधिनियम के अन्तर्गत गरीबी अधिनियम।

6- विद्यमान विहीन बसने की धारा 14 का गरीबी 14 के अन्तर्गत प्रमाणित/गरीबी के प्रमाणित/गरीबी और बस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत का प्रमाणित/गरीबी।

विद्यमान विहीन/विहीन अधिनियम अधिनियम

(1) प्रमाणित/गरीबी की धारा 14 के अन्तर्गत प्रमाणित/गरीबी विद्या पूर्ण प्रमाणित/गरीबी बसने के प्रमाणित/गरीबी अधिनियम का प्रमाणित/गरीबी विद्या अधिनियम।

(2) विहीन की धारा 14 के अधिनियम 14 का अधिनियम अधिनियम के अन्तर्गत गरीबी विद्या अधिनियम।


N. P. D. SINGH
DIRECTOR
K. P. DETULI ACADEMY
GANDHIMARG, GORAKHPUR


ARCHANA SINGH
DIRECTOR
K. P. DETULI ACADEMY
GANDHIMARG, GORAKHPUR